न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारीः– जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 08/2016/प्रार्थना पत्र 6ए

सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, सीकर

प्रार्थी

बनाम

मैसर्स अग्रवाल इन्डस्ट्रीज एफ 121, औधोगिक क्षेत्र, सीकर

अप्रार्थी

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसीएक्ट 1955 के तहत

प्रार्थी की ओर से जिला रसद अधिकारी
अप्रार्थी की ओर से वकील श्री अमरचन्द गोयल

निर्णय **दिनांकः–25.10.2019**

जिला रसद अधिकारी, सीकर की ओर से एक आवेदन अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया गया। इस आवेदन का संक्षेप सार इस प्रकार है कि दिनांक 23.02.2009 को मेरे द्वारा हमराह प्रवर्तन स्टॉफ मैसर्स अग्रवाल इन्डस्ट्रीज एफ 121, औधोगिक क्षेत्र सीकर में मय पुलिस जाब्ता मुखबिर की सूचना पर आकस्मिक जांच की गयी, जहां पर 11 घरेलू गैस सिलैण्डर अवैध रूप से संग्रहित पाये गये जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0सं0	कम्पनी का नाम	सिलैण्डर नं0	कुल वजन	टेयर वजन	गैस की मात्रा	विवरण
1.	बीपीसी	110518	22.0	16.2	5.8	भरा हुआ
2.	बीपीसी	1689	22.0	16.2	5.8	भरा हुआ
3.	बीपीसी	958729	22.0	15.6	6.4	भरा हुआ
4.	बीपीसी	493225	22.0	16.5	5.5	भरा हुआ
5.	बीपीसी	510623	22.0	15.7	6.3	भरा हुआ
6.	एचपीसी	37882	161	16.1	0	खाली
7.	एचपीसी	178655	17.0	17.0	0	खाली
8.	एचपीसी	30302	17.2	17.2	0	खाली
9.	एचपीसी	311572	23.0	15.8	7.2	भरा हुआ
10.	एचपीसी	150908	15.8	15.8	0	खाली
11.	एचपीसी	615641	20.0	15.8	4.2	भरा हुआ

उक्त अवैध रूप से संग्रहित 11 घरेलू गैस सिलैण्डर फैक्ट्री में प्लास्टीक की पानी की टंकी निर्माण हेतु पाईप लाईन से जोड़कर ईन्धन में प्रयोग लेकर व्यवसायिक दुरूपयोग किया जाता पाया गया। उक्त घरेलू गैस सिलैण्डर प्लास्टिक की टंकी बनाने हेतु व्यवसायिक कार्य के काम में लिए जा रहे थे, जिनका व्यवसायिक उपयोग निषेद है वजह सबूत उक्त 11 घरेलू गैस सिलैण्डर जब्त सरकार कर मैसर्स विक्रम गैस सर्विस, सीकर के मैनेजर श्री दशरथ सिंह की सुपुर्दगी में दिये गये। मौके पर तीन प्लास्टीक के टैंक जिनमें दो पांच–पांच सौ लीटर क्षमता के एक 200 लीटर क्षमता में नीला केरोसीन तैल अवैध रूप में

Web Copy - Not Official

ड्रमों सहित बुलाकर लोहे के ड्रमों मे उक्त तेल को भरवाया गया, जो चार ड्रमों में 200—200 लीटर तथा पांचवे ड्रम में 110 लीटर केरोसीन नापकर सत्यापित किया गया। उक्त केरोसीन तेल फैक्ट्री में मशीनों को चलाने हेतु प्रयोजनार्थ रखा गया जो पी.डी.एस के तहत उपभोक्ताओं को राशन कार्डों पर भोजन बनाने एवं रोशनी के प्रयोजनार्थ वितरीत करवाया जाता है। मौके पर नूमना दिखाकर, सुघाकर, जलाकर, चैक करने पर सभी ने केरोसीन तेल होना स्वीकार किया। उक्त 910 लीटर केरोसीन तेल अवैध रूप में संग्रहित पाये जाने पर जब्त सरकार किया जाकर मय तीन काले कन्टेनर उचित मूल्य दुकानदार, महेश कुमार सैनी, वार्ड संख्या 19 ए, सीकर शहर को सुरक्षा की दृष्टि से सुपुर्दगी में दिया गया। मौके पर मौजूद मजदुरों ने कागजातों पर हस्ताक्षर करने से ईनकार कर दिया तथा जांच में सहयोग नहीं किया। फर्म के मालिक का नाम बताने से भी इन्कार कर दिया। मौके पर फर्द निरीक्षण एवं जब्ती, फर्द सुपुर्दगीनामा (घरेलू गैस सिलैण्डर) एवं फर्द सुपुर्दगीनामा नीला केरोसीन तेल बनाया गया। अवैध रूप से घरेलू गैस सिलैण्डरों को व्यवसायिक प्रयोग किया जाकर एल.पी.जी. (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के खण्ड 3(1) (बी)(सी) का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है एवं केरोसीन तेल का अवैध रूप से संग्रहित कर केरोसीन (रेस्ट्रीक्सन ऑन यूज एण्ड सैलिंग प्राईस) आदेश 1993 के क्लॉज 3(1) एवं पी.डी.एस. कन्ट्रोल ऑर्डर 2001 एवं राजस्थान फूडग्रेन एण्ड अदर एसेसियल आर्टिकल (रेगूलेशन) ऑर्डर 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त आधार पर उक्त 11 घरेलू गैस सिलैण्डर मय गैस एवं 910 लीटर केरोसीन तेल को मय तीन प्लास्टीक कन्टेनरों के राजसात करने की कृपा करें। चूंकि गैस एवं केरोसीन तेल विस्फोटक ज्वलनशील प्रदार्थ है अतः धारा 6 ए (2) ई.सी. एक्ट के अन्तर्गत अन्तरिम निस्तारण करने की कृपा करें।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रिजस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की और से वकील श्री अमरचन्द गोयल ने उपस्थित आकर वकालतनामा एवं जवाब आवेदन पेश किया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब आवेदन पेश कर निवेदन किया कि इण्डस्ट्रीज में 11 घरेलू गैस सिलेण्डर घरेलू उपयोग हेतु थे जो इण्डस्ट्रीज में कार्य करने वाले कर्मकार के थे। उक्त कर्मकार द्वारा स्वयं के किचन हेतु सर्वेन्ट कमरे/रसोई में उपयोग किया जा रहा था। वर्णित गैस सिलेण्डर फैक्ट्री में प्लास्टिक की पानी की टंकी निर्माण हेतु पाईप लाईन से जोड़कर ईन्धन में प्रयोग लेकर व्यवसायिक उपयोग में नहीं लिये जा रहे थे तथा न ही इस प्रकार से उपयोग किया जाना संभव है। गलत रूप से जब्त सिलैण्डर कर्मकार के होने से सम्बंधित कर्मकार को लौटाने हेतु विक्रम गैस सर्विस सीकर के मैनेजर श्री दशरथ सिंह का सुपुर्दगीनामा निरस्त कर वापस दिलवाया जाना उचित एवं आवश्यक है। आवेदन में कथित तथ्यों के क्रम में फैक्ट्री में नीला केरोसीन तेल संग्रहित नहीं पाया गया अपितु कथित तेल नहीं होकर 910 लीटर डीजल था, सुंघाकर जलाकर चेक करने मात्र से कल्पना पर डीजल केरोसिन नहीं हो जाता है। क्रय किये गये बिल की प्रति सलंग्न है। अतः आवेदन अन्तर्गत धारा 6ए ईसीएक्ट निरस्त किया जाकर आवेदन में वर्णित 11 सिलेण्डर एवं 90 लीटर डीजल का सुपुर्दगीनामा निरस्त कर सिलेण्डर कर्मकार को देने हेतु एवं डीजल प्रार्थी फैक्ट्री को दिलवाया जाना प्रार्थनीय है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस उक्त प्रकरण से सम्बंधित न्यायालय सिविल न्यायाधीश के न्यायालय में भी प्रकरण विचाराधीन चल रहा है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब के सलंग्न सिलेण्डर गैस कनेक्शनों की प्रतियां पेश की है जिसमें उपभोक्ता क्रमांक 28450 उपभोक्ता शिवपाल शर्मा पुत्र रामावतार शर्मा चिरंजी पनवाड़ी की गली, सीकर एवं उपभोक्ता क्रमांक 601433 उपभोक्ता अशोक कुमार शर्मा सीकर, उपभोक्ता क्रमांक 22538 उपभोक्ता श्यामलाल, उपभोक्ता क्रमांक 605433 उपभोक्ता धन्नालाल महामन्दिर रोड़ आदि—आदि अंकित किया गया है। इस प्रकार अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत गैस कनेक्शन की प्रतियों में

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

उपभोक्ताओं के निवास स्थान का प्रोपर अंकन नहीं किया हुआ है जिससे यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता है कि उक्त उपभोक्ता कंहा के निवासी है एवं फैक्ट्री में कर्मकार के रूप में काम कर रहे है। कथित उपभोक्ताओं का निवास व जब्ती स्थल भिन्न–भिन्न है। जब्तशुदा 910 लीटर कैरोसीन तेल के सम्बंध में अधिवक्ता अप्रार्थी ने उक्त जब्तशुदा 910 लीटर तेल कैरोसीन नहीं होकर डीजल होने का कथन किया है एवं इस सम्बंध में बैजनाथ सुण्डाराम व सीताराम जगन्नाथप्रसाद सिहोटिया पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. डीलर, सीकर द्वारा विक्रय किये गये डीजल के बिल की प्रतियां भी प्रस्तुत की है। चूंकि प्रकरण से सम्बंधित अन्य प्रकरण सिविल न्यायालय में विचाराधीन है जिसका अन्तिम निस्तारण होना शेष है। चूंकि जब्तशुदा सिलेण्डर में जब्त गैस क्षरित योग्य है एवं जब्तशुदा कैरोसीन तेल ज्वलनशील पदार्थ है। अतः उक्त गैस क्षरित होने व ज्वलनशीन पदार्थ से हादसा होने की आशंका को देखते हुए इसका अन्तरिम निस्तारण किया जाना उचित एवं अति आवश्यक प्रतीत होता है। अतः जिला रसद अधिकारी, सीकर को लिखा जावे कि उक्त जब्तशुदा सिलेण्डरों में जब्त गैस एवं जब्त 910 लीटर कैरोसीन तेल का अन्तरिम निस्तारण नियमानुसार किया जावे एवं जब्तशुदा 11 सिलेण्डर सिविल न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद के अन्तिम निस्तारण तक पूर्व की भांति जब्त रहकर सुरक्षित सुपुर्दगी में ही रहें। पत्रावली सिविल न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद के अन्तिम निर्णय उपरांत अग्रीम कार्यवाही हेतु पेश हो।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/10/19

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official